न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदय सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम:– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 869/2019

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरजंट सिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

– वादी

बनाम

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. मलकीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. गुरदीप सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. गुरचरण सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
5. प्रीतम सिंह पुत्र जसवीर कौर पुत्री जगरूप सिंह पत्नी बुटा सिंह जाति तरखान निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
6. स्वर्ण कौर उर्फ गुरप्रीत कौर पत्नी रामसिंह पुत्री जसवीर कौर पुत्री जगरूप सिंह जाति तरखान निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
7. लखवीर कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी कश्मीर सिंह जाति तरखान निवासी महला तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)।
8. रजनी पुत्री गुरजन्ट सिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
9. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 RTA

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री जगनंदन सिंह अधिवक्ता	वादी
2	श्री हरपाल सिंह अधिवक्ता	प्रतिवादीगण 1 ता 8
3	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 9

दिनांकः 17.2.2020

निर्णय

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि पक्षकार हिन्दु धर्म व हिन्दू ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दु परिवार के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

सदस्य है और आपस में रक्त संबध है। चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 28/25 के प0न0 105/138 मु0न0 19 कि0न0 4 ता 7 सालम कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 29/229 के प0न0 105/140 मु0न0 33 कि0न0 23 ता 25 सालम, प0न0 105/141 मु0न0 41 कि0न0 2 ता 20 में 4.807 हैक्टर, कि0न0 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 6.831 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.139 हैक्टर नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी विरास्तन प्राप्त हुई है जो संयुक्त हिन्दु परिवार की परिभाषा में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 का व्यवहार वादी के साथ पिछले कुछ वर्षो से सही नही रहा है जिसके चलते वादी एवं प्रतिवादीगण अलग-अलग निवास कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 के इसी व्यवहार के चलते घरू तौर पर रिशतेदारो एवं बिरादरी के मध्य हुई पंचायत के आधार पर वादी को चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 28/25 के प0न0 105/138 मु0न0 19 कि0न0 4 ता 7 सालम कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हैक्टर प्राप्त हुई है। इसी अनुसार आराजी वादी की कब्जा काश्त में चली आ रही है व प्रतिवादी संख्या 1 को दावा की मंद संख्या 5 में दर्ज 1.139 हैक्टर आराजी मुताबिक बंटवारा प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित आराजी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 से मुताबिक बंटवारा हक हिस्सा में आयी है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नही रहने के कारण प्रतिवादीगण अक्सर धमकियां देते है कि उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा तुझे उक्त आराजी से बेदखल कर देगें तथा उक्त वर्णित आराजी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नही होने के कारण वादी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 28/25 के प0न0 105/138 मु0न0 19 कि0न0 4 ता 7 सालम कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी को दावा की मंद संख्या 7 अनुसार मुताबिक बंटवारा आराजी की अपने नाम घोषणा प्राप्त कर खातेदारी पाने के हक व अधिकारी है। यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि वह वादी को मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की कब्जा काश्त अनुसार दावा की मंद संख्या 7 अनुसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे तथा सहमति के आधार पर उक्त आराजी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 आज कल करता रहा लेकिन दिनाँक 11.12.2019 को बैमुकाम अमरगढ़ में स्पष्ट ईन्कार हो गया और ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजी को बेचान कर दुंगा बेचान कर अन्यत्र खरीद कर लुंगा ताकि तुम्हे कोई हिस्सा न मिले तुम्हे जो करना है कर लो। बस यही बिनाय दावा है। वाद वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद वादी का निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

लिहाजा इस आशय की घोषणा की जावे कि वादी को चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 28/25 के प0न0 105/138 मु0न0 19 कि0न0 4 ता 7 सालम कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या 9 जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा।

उभय पक्षकारण अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के अधिवक्ता ने वादी के तथ्यो को स्वीकार किया एवं वादपत्र स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 वादी के दादा से प्राप्त हुई है जो मुताबिक बंटवारा वादी के हक व हिस्सा में आयी थी। वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने वादी के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये ईकबालदावा पेश किया है। इस प्रकार वादी ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबालदावा के कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी को चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 28/25 के प0न0 105/138 मु0न0 19 कि0न0 4 ता 7 सालम कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है।

एवं उक्तानुसार ही वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि रकबा बैक रहन है तो बैक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावे तहसीलदार राजस्व को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: